

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फ़ैक्स नम्बर-0522-2724030)

पत्र संख्या: लाजि0-एम0टी0-19/2024 दिनांक: जून 30, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-चार-125-(14)/2018 दिनांक 14-09-2024 के साथ प्राप्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(34)/2024 दिनांक 10-09-2024 द्वारा निम्न आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2024 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 14-09-2024 के क्रम में 30 जून, 2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 01-07-2025 से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालकों के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
226	293	980441493	अमरनाथ यादव	रामअवतार यादव	कमि० वाराणसी	2024
227	295	980530203	सुनील कुमार	रामजनम राम	गोरखपुर	2024
228	296	980611366	अरुण कुमार राय	अंगद राय	स्पाट/ एटीएस उ.प्र.	2024
229	297	980740213	महाबल विश्वकर्मा	रंगलाल विश्वकर्मा	स्पाट/ एटीएस उ.प्र.	2024
230	298	980491485	कृष्णानन्द सिंह यादव	श्री चन्द्रपति यादव	कमिश्नरेट, लखनऊ	2024
231	299	980741304	परमेश्वर भक्त	भवनाथ भक्त	संतकबीरनगर	2024
232	300	980690143	विनोद पाल	श्री मंगरू पाल	39वीं पीएसी मीरजापुर	2024
233	301	030570421	अजय कुमार सिंह	श्री रामबृक्ष सिंह	महाराजगंज	2024
234	302	030541290	अकरम अली	मो० हनीफ	शाहजहाँपुर	2024
235	304	040650874	रमेश चन्द्र	श्री राम उजागिर यादव	कमिश्नरेट, लखनऊ	2024
236	305	040490074	अरविन्द कुमार पाण्डेय	श्री शेषमणि पाण्डेय	कमिश्नरेट, लखनऊ	2024
237	306	040490768	मिर्जा अक्रमुररहमान	श्री मिर्जा अशरफरहमान	कमिश्नरेट, लखनऊ	2024
238	307	040490641	जितेन्द्र कुमार	श्री राज किशोर	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2024
239	308	980491430	जय प्रकाश	श्री वशिष्ठ मुनि यादव	चन्दौली	2024
240	309	980460955	मोनिन कुमार	श्री धर्मवीर सिंह	मेरठ	2024
241	310	980551790	राम दुलारे यादव	श्री राम चन्दर सिंह	बाराबंकी	2024
242	311	980731055	जितेन्द्र सिंह	श्री राम सिंह	मैनपुरी	2024
243	312	980581331	अरविन्द कुमार पाल	श्री झण्डू लाल	चित्रकूट	2024
244	313	980450840	साहब खॉ	इकबाल खॉ	बलिया	2024
245	314	980580497	घनश्याम सिंह	श्री विजय सिंह	खीरी	2024
246	315	980580787	अशफाक खॉ	जमालुद्दीन खॉ	उन्नाव	2024

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मियों नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

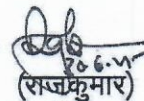
4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मियों को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट [up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive](#) पर प्रदर्शित है।

संलग्नक:

स्वघोषणा पत्र का प्रारूप-क


(राज कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/इकाई में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय महानगर लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, वाराणसी/लखनऊ एवं कानपुरनगर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर/संतकबीरनगर/महाराजगंज/शाहजहाँपुर/चन्दौली/मेरठ/बाराबंकी/मैनपुरी/चित्रकूट/बलिया/खीरी एवं उन्नाव।
5. सेनानायक, 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10-09-2024 के संदर्भ में।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 14-09-2024 के संदर्भ में।

स्व-घोषणा-पत्र

मैं _____ (नाम/पदनाम व पौखुआँ)
 पुत्र _____ निवासी _____
 धाना _____ जनपद _____ वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)
 निम्नलिखित हैं तथ्य घोषित करता हूँ कि:-

- (क) मेरे विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमवली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लिखित अध्या प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग नाननीय न्यायालय में चलाया नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित है।
2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अध्या विषय पता जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर प्रत्यागन्त करने हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से हौशोरवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
 (नाम/पदनाम/पौखुआँ सहित)
 निम्नलिखित स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कमी के विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों (दण्ड एवं अपील) नियमवली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लिखित अध्या प्रचलित है अध्या कोई आपराधिक अभियोग नाननीय न्यायालय में चलाया नहीं है वा निलम्बित है, तो इसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण _____
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमवली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लिखित है, जिसमें दिनांक _____ को आरोप-पत्र दिया गया _____
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०स० _____ द्वारा _____ धाना _____ जनपद _____ में लिखित है, जिसमें दिनांक _____ को स्थ पुलिस अध्या जॉय एजेंसी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्याय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग _____ वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
 (नाम/पदनाम/पौखुआँ सहित)
 निम्नलिखित स्थान/दिनांक

प्रमाणित
 जनपद/इकाई के प्रभारी
 नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अध्या उप-प्रस्तर लागू न हों, उसे स्पष्ट रूप से दिया जाय।